

Regarding racial discrimination in Australia

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी (नन्दुरबार) : स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम विकसित भारत की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि देश बदलना है। मुझे लगता है कि देश बदलता जा रहा है। मेरा वह विषय नहीं है। मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि विदेश में नस्लीय नफरत और नस्लीय रूढ़िवादिता भारतीय नागरिकों के बारे में बढ़ गई है। 6 महीने पहले एक कनाडियन महिला का एक वीडियो आया था, जिसमें एक भारतीय मूल निवासी के खिलाफ उसने कहा था कि वापस अपने देश चले जाओ। इसी तरह, 3 महीने पहले एक महिला ने वीडियो बनाया था, जिसमें उस महिला ने दीवाली मनाने की बात पर भारतीयों लोगों के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी। आस्ट्रेलियन क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसी ही एक बात हुई थी।
? (व्यवधान)

श्री दरोगा प्रसाद सरोज (लालगंज) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे, आपकी अनुमति से एक सवाल करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : सवाल मत करिए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, बैठिए। सदन में कभी भी स्पीकर से सवाल नहीं पूछते हैं। अब आप बोलिए।

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : मान्यवर, मैं क्षमा चाहूंगा। आपके माध्यम से 7/8/2024 को संसद भवन में मेरे द्वारा नियम 377 के तहत एक प्रश्न विद्युत आपूर्ति के बारे में पूछा गया। सदन को गुमराह किया गया कि मैं 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगा देता हूं। यह बिल्कुल असत्य है।

माननीय अध्यक्ष : बिजली का ट्रांसफार्मर लगवाना राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार थोड़े न ही ट्रांसफार्मर लगाने जाएगी।

? (व्यवधान)

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : अनेक स्थानों पर दो से तीन महीनों में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं।? (व्यवधान) ट्रांसफार्मर लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या अलग से कोई पैसा दिया जाता है? मंडल अभियंता कहता है कि? (व्यवधान) फिर मैं ट्रांसफार्मर लगाऊंगा।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बिद्युत बरन महतो।